न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 13 / 2018

दायर तारीखः 11.04.2018
निर्णय दिनांकः 12.06.2018
न्याय आपके द्वार केम्पः पाटीया

बन्शीलाल पिता रूपा बनाम राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार खेरवाड़ा

:– धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:–

उपस्थितः
वादी की ओर से :– बन्शीलाल पिता रूपा
प्रतिवादी की आरे से :– तहसीलदार खेरवाड़ा

:– निर्णयः–

वादी बन्शीलाल पिता रूपा भील निवासी रेटड़ा तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 11.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 – 74 के खाता संख्या 133 / 135, 130 / 132 में काश्तकार विरमचन्द पिता रूपा भील के बजाय राजस्व रिकोर्ड में काश्तकार बन्शीलाल पिता रूपा भील निवासी रेटड़ा करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड , पंचायत समिति सदस्य पाटिया द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार नहीं होने के कारण हक्सी पिता रूपा, मनसुखलाल पिता रूपा के बयान, पटवारी हल्का पाटिया की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में विरमचन्द के बजाय बन्शीलाल किये जाने की अनुशंषा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में खातेदार विरमचन्द पिता रूपा भील के बजाय राजस्व रिकोर्ड में काश्तकार बन्शीलाल पिता रूपा भील निवासी रेटड़ा की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पाटीया में सरे इजलास सुनाया गाया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा